न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 05 / 2022 GCMS NO 2022 / 14
दायरा तिथि : 12.01.2022
आदेश तिथि : २२-०२-२०२२

प्रार्थीगण :–

1. श्री गजेन्द्र सिंघवी पुत्र ऋषिराज सिंघवी जाति जैन
   निवासी भैरू चौक रोड सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर
2. श्री शैतानसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपुत
   निवासी कोठार तहसील बाली जिला पाली (राज0)

व नाम

अप्रार्थीगण :–

1. हरिकृष्ण पुत्र मगनलाल जाति निर्मल
   निवासी मानखुर्द मुम्बई (महाराष्ट्र)
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांकः २२-०२-२०२२

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 125 रकबा 2.22 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी हरिकृष्ण पुत्र मगनलाल जाति निर्मल निवासी मुम्बई की निजी खातेदारी भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 12/1 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म बारानी सोयम एवं राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम कोठार तहसील के खसरा नंबर 128, 129, 130, 131/874 रकबा क्रमशः 1.99 हैक्टर, 1.71 हैक्टर, 1.12 हैक्टर, 0.500 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2022/321 दिनांक 07.02.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 125 रकबा 2.22 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि श्री गजेन्द्र सिंघवी पुत्र ऋषिराज सिंघवी हि. 1/2 जाति जैन व शैतानसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हि. 1/2 जाति राजपुत निवासी सुमेरपुर के नाम की खातेदारी भूमि है। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावि रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हैं।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	131/874	0.50 हैक्टर	बारानी सोयम	130X7=910 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
2	130	1.12 हैक्टर	बारानी सोयम	110X7=770 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
3	129	1.71 हैक्टर	बारानी सोयम	100X7=700 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
4	128	1.99 हैक्टर	बारानी सोयम	100X7=700 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
5	127/1	0.11 हैक्टर	बारानी सोयम	35X7=245 वर्गमीटर	हरिकृष्ण पुत्र मगनलाल कौम निर्मल सा. निर्मल मानखुर्द मुम्बई

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम कोठर की डी.एल.सी. दर 93870/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4 .प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं। एवं न ही अन्य कोई क्षति होगी।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज

पेज लगातार................02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 05/2022 GCMS NO 2022/14
अनवान गजेन्द्र सिंघवी वगैरा बनाम हरिकृष्ण वगैरा
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण में हितबद्ध निजी खातेदार हरिकृष्ण पुत्र मगनलाल जाति निर्मल निवासी मानखुर्द मुम्बई (महाराष्ट्र) को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किये जाने पर इण्डियन पोस्ट विभाग के ऑन लाईन स्टेट्स के अनुसार दिनांक 31.01.2022 को नोटिस अप्रार्थी हरिकृष्ण को डिलीवरर्ड होना ज्ञात है। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के नियत पेशी दिनांक 31.01.2022 व इसके पश्चात् नियत पेशी दिनांक 08.02.2022 व आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहा है, जिससे अप्रार्थी संख्या–01 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये जाते है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने व अप्रार्थी संख्या–01 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही होने से उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात हैं कि आवेदक प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 125 रकबा 2.22 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन के लिये वर्तमान में रेकर्डेड कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिससे प्रार्थीगण की रास्ते बाबत् मांग न्यायोचित है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकः प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 125 रकबा 2.22 हैक्टर किस्म बारानी सोयम हेतु निजी खातेदारी भूमि ग्राम कोठार के खसरा नंबर 127/ रकबा 0.11 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मेंसे 245 वर्गमीटर एवं **राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम कोठार** के खसरा नंबर 128, 129, 130, 131/874 किस्म बारानी सोयम मेंसे कुल 3080 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 93870/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
131/874	0.50 हैक्टर	130X7=910 वर्गमीटर	9.387	**8543x2= 17086**	राजकीय सिवायचक भूमि
130	1.12 हैक्टर	110X7=770 वर्गमीटर	9.387	**7228 x2= 14456**	राजकीय सिवायचक भूमि
129	1.71 हैक्टर	100X7=700 वर्गमीटर	9.387	**6571 x2= 13142**	राजकीय सिवायचक भूमि
128	1.99 हैक्टर	100X7=700 वर्गमीटर	9.387	**6571 x2= 13142**	राजकीय सिवायचक भूमि
127/1	0.11 हैक्टर	35X7=245 वर्गमीटर	9.387	**2300 x2= 4600**	हरिकृष्ण पुत्र मगनलाल कौम निर्मल सा. निर्मल मानखुर्द मुम्बई

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार सिवायचक भूमि की देय प्रतिकर राशि 57826/– (**अक्षरे सत्तावन हजार आठ सौ छब्बीस रूपये**) रूपये आवेदक द्वारा राजकोष में जमा कराई जावेगी। तथा **4600/–अक्षरे चार हजार छः सौ** आवेदक द्वारा प्रभावित निजी खातेदार को अदा की जायेगी। निजी खातेदार द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा बतौर प्रतिभूति तहसील कोष में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार..........03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 05/2022 GCMS NO 2022/14
अनवान गजेन्द्र सिंघवी वगैरा बनाम हरिकृष्ण वगैरा
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बाली
दिनांक : २२.02.2022

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

क्रमांक/कोर्ट/2022/577-581
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक गजेन्द्र सिंघवी पुत्र ऋषिराज सिंघवी जाति जैन निवासी भैरू चौक रोड सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान) को सूचनार्थ।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner